उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–411 /xxvii(7)/2010
देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 78/xxvii(7)/2009, दिनांक 1मार्च,2009 एवं तत्कम में जारी शुद्धि पत्र संख्या 100/xxvii(7)/2009, दिनांक 31मार्च,2009 द्वारा यात्रा–भत्ता की पूर्व दरों एवं व्यवस्थाओं को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त शासनादेश में यात्रा–भत्ते के संबंध में पूर्व में जो व्यवस्था/अनुमन्यता थी उनमें कमी कर दिये जाने तथा उसकी कतिपय व्यवस्थायें व्यवहारिक न होने के कारण विभिन्न स्रोतों से इनमें संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है इन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 1–3–2009 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) यात्रा–भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–4–395/दस–99–600–99 दिनांक 11 जून,1999 में दिनांक 1.1.96 से प्रभावी वेतनमानों में रू0 16400 से 18300 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले अधिकारियों को रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि0मी0 से अधिक की यात्रा करने पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य था। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 मार्च, 2009 द्वारा केवल रू0 10,000 ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारियों जिनका पुराना वेतनमान रू0 18400–22400 था तथा केवल शासन के अपर सचिव को जो रू0 8900 के ग्रेड वेतन(पुराना वेतनमान रू0 16400–20,000 के वेतनमान)में हो को वायुयान का इकोनामिकल क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की गई है, अर्थात पूर्व में जो सुविधा पुराने वेतनमान रू0 16400–20,000 में कार्यरत अधिकारियों, जिनका नये वेतनमान में ग्रेड पे रू0 8900 है, उन्हें वह न प्राप्त होकर रेल का ए0सी0 टू टियर/प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार की अनुमन्यता की गयी है जोकि पूर्व की अनुमन्यता से कम है । अतः रू0 8900 ग्रेड वेतन के समस्त पद धारकों को पूर्व से अनुमन्य वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की निरन्तरता यथावत रहेगी।

(ख) दैनिक भत्ताः–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरें जो शासनादेश दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा संशोधित की गई है उनमें वर्तमान समय में रू0 4800 तथा इससे कम ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु पूर्व में 3 श्रेणियां थी जिन्हें अब घटाकर एक कर दिया गया है, जिसमें रू0 4600 ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में 'अन्य जिला मुख्यालयों' के लिए आंशिक रूप से तथा 'शेष समस्त क्षेत्रों' के लिए कोई वृद्धि नहीं

की गई है। कतिपय पूर्व दरों में कोई वृद्धि न होने अथवा अत्यंल्प वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी:–

दैनिक भत्ते की दर

क0सं0	ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
1.	रू0 4600 तथा उससे कम ग्रेड वेतन	रू0 150	रू0 120	रू0 100

2) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये निर्णय के अनुसार दैनिक भत्ते के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु प्रथम दो श्रेणियों यथा रू0 12000 ग्रेड वेतन (अब संशोधन के फलस्वरूप एच0ए0 जी0 रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000) या उससे उच्च वेतनमान,ग्रेड वेतन रू0 10,000 तथा रू0 8900 के पद धारकों हेतु स्वंय की व्यवस्था पर यात्रा भत्ता में 50 कि0मी0 की यात्रा हेतु क्रमशः ए0सी0 तथा नान ए0सी0 टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बडे नगरों हेतु बहुत कम है। यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश के बाहर बडे शहरों के लिए 50 कि0मी0 मात्र की टैक्सी की अनुमन्यता व्यवहारिक नही है। सामान्यतः पदधारक के ठहरने के स्थान ट्रैवल एजन्सी से 10–15 कि0मी0 की दूरी पर होते हैं तथा बिना कोई दूरी तय किये 10–15 कि0मी0 आने तथा जाने की दूरी के जोड़ने पर लगभग 20–30 कि0मी0 की यात्रा अतिरिक्त रूप से जुड़ जाती है और सरकारी कार्य हेतु मात्र 20–30 कि0मी0 की यात्रा शेष रहती है।

अतः अब दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता शहरों हेतु शहर के अन्दर टैक्सी पर वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि की अनुमन्यता होगी। राज्य के बाहर उक्त शहरों से भिन्न शहरों हेतु टैक्सी का एक दिन का वास्तविक व्यय 80 कि0मी0 की सीमा में अनुमन्य होगा ।

3) शासनादेश संख्या–78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव सचिव।

संख्या411(1)xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)

अपर सचिव।